राजस्व अपील संख्या 192 / 2022

अनवान

मदनलाल वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देचू वगैरा

दिनांक 9–6–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित आदेश कमांक / प्र.ग.स. / 2021 / 1069 दिनांक 20–12–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई । न्यायालय हाजा ने आदेशिका दिनांक 9.5.2022 से तहसीलदार देचू से मौका रिपोर्ट तलब की गई । तहसीलदार देचू ने मौका रिपोर्ट पत्र कमांक / राजस्व / 2022 / 175 दिनांक 24.5.2022 को प्राप्त हुई।

उक्तानुसार प्राप्त तहसीलदार रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। तहसीलदार देचू की रिपोर्ट अनुसार खंसरा नम्बर 2369 (ग्राम रामसागर) मे प्रशासन गावो के संग अभियान के समय इस खसरे के शेष खातेदार रास्ते का उपयोग करते थे तथा रास्ता चालु था परन्तु उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड मे अकंन का ज्ञान होने पर खातेदार श्री मदनलाल, नरसिंगाराम व फुलाराम पिता बलदेवाराम द्वारा उक्त रास्ते पर ट्रेक्टर से बुवाई करके रास्ता बंद कर दिया है। चूंकि चालू रास्ते को बंद किया जाना व्यापक जनहित मे नही है। अतः निर्देश दिये जाते है कि सम्बंधित तहसीलदार रास्ता खुलवाया जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

चूकि अपीलांट Clean hand and Bonafide intention से न्यायालय में नही आए है। अतः उपरोक्तानुसार तथ्यो के आधार पर अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–12–2021 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर